<u>कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गाजीपुर।</u>

पत्रसंख्या- सो0मी0- स0कार्य/2022 **दिनांक 11/05/2025**

सेवा में,

पुलिस उपाधीक्षक/स्टॉफ ऑफिसर
अपर पुलिस महानिदेशक,
वाराणसी जोन, वाराणसी, उ0प्र0।

कृपया पत्र संख्याः41/छः-पु-3/2020,दिनांकः04/06/2020 का (छायाप्रति संलग्न) के परिपेक्ष्य में आप अपने पत्र संख्या सोशल मीडिया-(18/2020 का अवलोकन करें, जो पुलिस विभाग एवं उसकी अन्य इकाईयों द्वारा किये जाने वाले सराहनीय कार्यों एं विशिष्ट उपलब्धियों का प्रचार-प्रसार किये जाने विषयक है।

कृपया

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि जनपद गाजीपुर के पुलिस कर्मियों द्वारा उत्कृष्ट/सराहनीय कार्य के संबंध में **दिनांक 10.05.2025** की संबंधित सूचना निम्नवत् है-

<u>01. थाना सैदपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 136/25 धारा 191(1),115(2),352,140(2),308(5) बी0एन0एस0 में वांछित 02 नफर अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।</u>

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत आज दिनांक 10.05.2025 को उ0नि0 श्री ओमप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा वांछित अभियुक्तगण को गिरफ्तारी हेतु नामजद अभियुक्त के घर पर दबिश दी गई तो घर के बाहर सड़क के किनारे दो व्यक्ति खड़े दिखाई दिये जो हम पुलिस वालो को देखकर तेजी से विपरीत दिशा मे जाने लगे कि हम पुलिस वाले एक बारगी दबिश देकर दोनो व्यक्तियो को घेरघार कर पकड़ लिया गया। उनमे से एक व्यक्ति ने अपना नाम विशाल सिंह चौहान पुत्र माया नाथ सिंह चौहान निवासी ग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष तथा दूसरे ने अपना नाम निलेश चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी ग्राम बस्ती पोस्ट खिरिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष बताया जिनके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 136/25 धारा 191(1),115(2),352,140(2),308(5) बी0एन0एस0 पंजीकृत है। उपरोक्त अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताकर मुकदमा उपरोक्त मे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-</u>

1.विशाल सिंह चौहान पुत्र माया नाथ सिंह चौहान निवासी ग्राम बड़हरा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष

2.निलेश चौहान पुत्र सुरेन्द्र चौहान निवासी ग्राम बस्ती पोस्ट खिरिया थाना रानीपुर जनपद मऊ उम्र करीब 32 वर्ष

<u>अपराधिक इतिहास अभियुक्तगण-</u>

मु0अ0सं0 136/25 धारा 191(1),115(2),352,140(2),308(5) बी0एन0एस0 थाना सैदपुर गाजीपुर

02. थाना कोतवाली, पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 315/2025 धारा 103(1),61(2)(क) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार ।

अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 06.05.2025 को थाना कोतवाली पर पंजीकृत मु0अ0सं0 315/2025 धारा 103(1),61(2)(क) बीएनएस से सम्बन्धित 01 नफर अभियुक्त वकील यादव पुत्र स्व0 जगरनाथ यादव निवासी ग्राम बुजुर्गा(कोठवा) थाना कोतवाली गाजीपुर को प्रभारी निरीक्षक दीन दयाल पाण्डेय, मय टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर बुजुर्गा तिराहा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्त का नाम व पता-
वकील यादव पुत्र स्व0 जगरनाथ यादव निवासी ग्राम बुजुर्गा(कोठवा) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उम्र करीब 52 वर्ष ।

विवरण पूछताछ - पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि मैने अपने ही सगे और अन्धे भाई नगीना यादव की जमीन हड़पने की लालच में अपने लड़के संदीप यादव के साथ मिलकर नगीना यादव की हत्या दिनांक 05/06.05.2025 की रात में करवा दिया और जब से मेरे भाई की हत्या हुई है, तबसे मैं पुलिस से बचने के लिये इधर-उधर छिप रहा था और आज किसी रिश्तेदारी में जाने की फिराक में साधन का इंतजार करते वक्त आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1. मु0अ0सं0 315/2025 धारा 103(1),61(2)(क) बीएनएस थाना कोतवाली गाजीपुर
2. मु0अ0सं0 303/2024 धारा 323,325 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर
3. मु0अ0सं0 623/2019 धारा 147,323,504,506,325 भादवि थाना कोतवाली गाजीपुर

पुलिस अधीक्षक
गाजीपुर